

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2018/00058

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर एवं पीठासीन अधिकारी, राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट-.....



मनोहरदास बनाम सरकार

किस्म मुकदमा - 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा - 210 / 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिवियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
31/05/18	<p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, में प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र वास्ते जाँच रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व), लूनकरनसर को भिजवाया गया। तहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम/चक..... 5 L K D..... सम्वत्. 2073-2076 के खाता संख्या..... 93 में रुकमा पानी केशरदास मनोहरदास होपली शि. केशरदास 3/4 लि आ रहा है, जिसे प्रार्थी/प्रार्थीगण जरिये दुरुस्ती रुकमा पानी केशरदास, मनोहरदास, होपली शि. केशरदास 3/4 शुद्ध करवाना चाहता है। तहसीलदार, लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में वांछित दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की है। तहसीलदार, लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वांछित दुरुस्ती की जानी लोक अदालत की भावना से हम न्यायोचित समझते हैं।</p> <p>फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा ग्राम/चक..... 5 L K D..... की जमाबंदी सम्वत्..... 2073-2076 के खाता संख्या..... 93 में दर्ज मनोहरदास, होपली शि. केशरदास के स्थान पर रुकमा पानी केशरदास मनोहरदास होपली शि. केशरदास 3/4 लि दुरुस्ती करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। तहसीलदार, लूनकरनसर को दुरुस्ती आदेश पृथक से पालनार्थ जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	रुकमा पानी केशरदास मनोहरदास होपली शि. केशरदास 3/4 लि

सदस्य
राजस्व लोक
अदालत

सदस्य
राजस्व लोक
अदालत

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर